मनुभाई अताभाई

विरुद्ध

गुजरात राज्य

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, न्यायाधिपति]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 एवं 304 भाग -I के अन्तर्गत- मृतक पर चाकू से प्रहार किया गया था - विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 304 भाग -I के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया - उच्च न्यायालय द्वारा उसे धारा 302 के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया - अपील में निर्धारित किया गया : चोट पेट के ठीक नीचे लगी थी एवं उसमें शरीर के मर्मस्थल को प्रभावित किया था - चाकू शरीर में 6 सेमी गहराई तक गया था, जो यह दर्शाता करता है कि प्रहार अत्यधिक बल के साथ किया गया था - मात्र एक प्रहार ही स्वतः धारा 304 भाग - I को अनुप्रयोग में नहीं लाता है - उच्च न्यायालय का आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

अभियोजन का मामला यह था कि शिकायतकर्ता और अभियुक्तगण के मध्य उनकी संपत्तियों के बीच दीवार के निर्माण के संबंध में विवाद था। दोनों पक्षों ने घटना की तारीख से पहले शिकायतें दर्ज कराई थी।

घटना के दिन, अपीलार्थी और उसके पिता और भाई, जो अन्य आरोपी थे, शिकायतकर्ता के घर आए और गाली-गलौज करने लगे। शिकायतकर्ता घर से बाहर आया और उसके द्वारा गाली देने के कारणों के बारे में पूछा। अपीलार्थी भी एक खुला चाकू लेकर मौके पर आया, ए-3 कुल्हाड़ी लेकर आया और ए-4 के हाथ में लोहे का पाइप था। मृतक, जो कि शिकायतकर्ता का पुत्र था, ने घर से बाहर आकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। अपीलार्थी ने मृतक के पेट में चाकू से वार किया। शिकायतकर्ता ने हस्तक्षेप किया और ए-3 ने शिकायतकर्ता के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और ए-4 ने पाइप से शिकायतकर्ता के बाएं हाथ पर प्रहार किया। तत्पश्चात्, अपीलार्थी और अभियुक्तगण घटना स्थल से चले गए। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी को धारा 304 भाग-। के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि धारा 304 भाग -। में दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय ने निम्न दो तथ्य इंगित किए हैं - (1) मात्र एक प्रहार किया था तथा द्वितीय प्रहार का प्रयास नहीं किया गया। (2) क्रोस प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था,

अभियोजन संस्करण को अपर्याप्त पाया गया, विचारण न्यायालय ने तीन अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया, जिसे उच्च न्यायालय ने यथावत् रखा।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. चोट उरोस्थि के लगभग 6 सेमी नीचे तथा नाभि से 8 सेमी ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी x 6 सेमी की थी, इसके साथ ही आंतरिक चोट के कारण यकृत की आंतरिक सीमा में 2 सेमी गहरा घाव हो गया था। चिकित्सक द्वारा यह मत व्यक्त किया था कि चूंकि, यकृत शरीर का एक मर्म अंग है, अतः मृतक को आई चोट उसकी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। [पैरा 7] [1118-एफ-जी]

2. आशय की प्रकृति का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि, हथियार किस भाँति का था, शरीर के किस भाग पर प्रहार किया गया, प्रहार में कितने बल का प्रयोग किया गया था एवं मृत्यु के लिए अन्य परिचारिक परिस्थितियाँ। आरोपी द्वारा उपयोग में लिए गए चाकू, जिसके धारदार हिस्से की लंबाई 6 इंच थी। चोट पेट के ठीक नीचे लगी थी और एक महत्वपूर्ण भाग यानी यकृत को प्रभावित किया था। चाकू पेट में 6 सेंटीमीटर गहरा चला गया था, जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि प्रहार बहुत बल के साथ किया गया था और चोट का परिणाम यह था कि मृतक की तत्क्षण मृत्यु हो गई। मात्र इस कारण कि एक ही प्रहार किया गया था,

धारा 304 भाग-। भारतीय दण्ड संहिता को स्वतः अनुप्रयोग में नहीं लाता है। [पैरा 8 और 9] [1118-जी-एच; 1119-ए-बी]

3. अपराध की प्रकृति के निर्धारण में क्रोस केस की वास्तव में कोई सुसंगतता नहीं है। उच्च न्यायालय का आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है। [पैरा 10 और 11] [1119-सी-डी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 636-637/2002

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के आपराधिक अपील सं. 872/1995 और 1034/1995 में दिनांक 12.06.2001 को पारित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की ओर से श्री पाल सिंह और राहुल सिंह।

प्रत्यर्थी के लिए अभिषेक मिश्रा और हेमंतिका वाही।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत, द्वारा पारित किया गया।

1. गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दो आपराधिक अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए गए निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील (सुविधा के लिए 'ए-2' के रूप में वर्णित) खारिज कर दी गई एवं गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तुत

याचिका को स्वीकार कर अभियुक्त पर अध्यारोपित आरोप अन्तर्गत धारा 304 भाग -I भारतीय दण्ड संहिता (संक्षिप्त में "भादस") को धारा 302 भादस के अपराध में परिवर्तित कर धारा 135 बॉम्बे पुलिस एक्ट, 1951 (संक्षिप्त में "पुलिस एक्ट") में दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आमेरली ने सेशन प्रकरण क्रमांक - 104/1992 में अताभाई (ए 1), कनुभाई (ए 3) और रामभाई (ए 4) (इसके बाद 'ए 1, ए 3 और ए 4' के रूप में सुविधा के लिए वर्णित) को बरी करने का निर्देश दिया।

2. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, राज्य और वर्तमान अपीलार्थी दोनों ने याचिकाएँ दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक - 18.04.1996 के माध्यम से राज्य द्वारा 'ए 1, ए 3 और ए 4' की सीमा तक प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया।

3. संक्षेप में अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है :

शिकायतकर्ता समनतभाई थोभनभाई, हरिजन-वनकरवास, कोडीनार का निवासी है। उनका केवल एक बेटा था जिसका नाम दानाभाई था और वे एक साथ रह रहे थे। आरोपी, उसके पिता और भाई शिकायतकर्ता के पड़ोसी थे। उनके मध्य उनकी संपत्तियों के मध्य दीवार के निर्माण को लेकर विवाद था। घटना से पहले दोनों पक्षों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त ने एक दीवार बनाने की योजना बनाई थी और कुछ दीवानी

मुकदमेबाजी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय में एक कैविएट भी दायर की थी और तब उसने दीवार के निर्माण को आगे बढ़ाया। 9 जून, 1992 को सुबह साढ़े छह बजे से सात बजे के करीब अताभाई तबाभाई उनके घर आए और गाली-गलौज करने लगे। इसलिए शिकायतकर्ता बाहर गया और अताभाई तबाभाई से गाली देने का कारण पूछा। इससे अताभाई तबाभाई भड़क गया और उसने अधिक गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और झगड़ा शुरू कर दिया। लगभग उसी समय अपीलार्थी मनुभाई अताभाई एक खुला चाकू लेकर मौके पर आया, कनुभाई अताभाई वहाँ कुल्हाड़ी लेकर आया और रामभाई अताभाई के हाथ में लोहे का पाइप था। इसी घटनाक्रम के मध्य, शिकायतकर्ता का बेटा दानाभाई (जिसे इसके बाद 'मृतक' कहा गया है) घर से बाहर आया और अताभाई तबाभाई को शांत करने की कोशिश की। हालांकि, अताभाई तबाभाई और उसके बेटे मनुभाई अताभाई, कनुभाई अताभाई और रामभाई अताभाई नाराज हो गए। अताभाई तबाभाई के उकसाने पर, मनुभाई अताभाई ने मृतक दानाभाई के पेट में चाकू से वार किया। शिकायतकर्ता ने हस्तक्षेप किया, जिसपर कनुभाई अताभाई ने शिकायतकर्ता के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और रामभाई अताभाई ने पाइप से शिकायतकर्ता समतभाई थोबनभाई के बाएं हाथ पर प्रहार किया। अताभाई तबाभाई ने शिकायतकर्ता की बाईं जंघा पर पत्थर से चोट कारित की। मृतक दानाभाई की पत्नी वालिबेन, समतभाई थोबनभाई और गिरधरभाई गोविंदभाई भी इसके तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे, इसलिए

हमलावर चले गए। मृतक दानाभाई, समतभाई और शिकायतकर्ता को अस्पताल ले जाया गया जहां मृतक दानाभाई को मृत घोषित कर दिया गया। समतभाई थोबनभाई द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर, कोडिनार पुलिस स्टेशन में C.R.No.85/92 पर अपराध दर्ज किया गया था, मामले की जांच की गई और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने तथ्यों के मिथ्या होने का अभिवाक् किया।

4. विचारण न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी ए2 को दोषसिद्ध एवं अपीलार्थी ए1, ए3 और ए4 को दोषमुक्त करने के निर्देश दिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। उच्च न्यायालय ने पाया कि मामला स्पष्ट रूप से धारा 302 का बनता है और विचारण न्यायालय द्वारा गलत आधारों पर अपीलार्थी को धारा 304 भाग-। के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा भादस की धारा 304 भाग 1 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करने के लिए निम्न दो तथ्य इंगित किए हैं - (1) मात्र एक प्रहार किया था तथा द्वितीय प्रहार का प्रयास नहीं किया गया। (2) क्रोस प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था। यह भी निवेदन किया कि अभियोजन संस्करण को अपर्याप्त मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा

तीन अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने यथावत् रखा।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय निराधार होकर गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भादस की धारा 302 के अन्तर्गत दोषसिद्धि सही की गई है। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में भादस की धारा 302, 304 भाग 1 और 304 भाग 2 के भेद पर प्रकाश डाला गया है। भ्रम तब उत्पन्न होता है, जब न्यायालयों द्वारा धारा 300 और 304 में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही मायने और अर्थ को नजरअंदाज किया जाए।

7. हस्तगत मामले में चोट उरोस्थि के लगभग 6 सेमी नीचे तथा नाभि से 8 सेमी ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी x 6 सेमी की थी, इसके साथ ही आंतरिक चोट के कारण यकृत की आंतरिक सीमा में 2 सेमी गहरा घाव हो गया था। चिकित्सक द्वारा यह मत व्यक्त किया था कि चूंकि, यकृत शरीर का एक मर्म अंग है, अतः मृतक को आई चोट उसकी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

8. आशय की प्रकृति का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि, हथियार किस भाँति का था, शरीर के किस भाग पर प्रहार किया गया, प्रहार में कितने बल का प्रयोग किया गया था एवं मृत्यु के लिए अन्य

परिचारिक परिस्थितियाँ। आरोपी द्वारा उपयोग में लिए गए चाकू, जिसके धारदार हिस्से की लंबाई 6 इंच थी। चोट पेट के ठीक नीचे लगी थी और एक महत्वपूर्ण भाग यानी यकृत को प्रभावित किया था। चाकू पेट में 6 सेंटीमीटर गहरा चला गया था, जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि प्रहार बहुत बल के साथ किया गया था और चोट का परिणाम यह था कि मृतक की तत्क्षण मृत्यु हो गई। जैसा कि यह स्वीकार किया गया है कि मृतक पक्षों को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वार्तालाप में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

9. विचारण न्यायालय का निष्कर्ष भ्रामक है। भादस की धारा 304 भाग I के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि यह व्यक्तिगत रक्षा के अधिकार के प्रयोग का मामला था और केवल एक प्रहार किया गया था और एक क्रोस प्रकरण था। यदि यह वास्तव में व्यक्तिगत रक्षा के अधिकार के प्रयोग का मामला था, तो भादस की धारा 304 भाग I के अन्तर्गत इससे कम कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती थी। मात्र एक प्रहार ही स्वतः धारा 304 भाग - I को अनुप्रयोग में नहीं लाता है।

10. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में एकल प्रहार के संबंध में दिए गए मापदण्डों पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया

गया। अपराध की प्रकृति के निर्धारण में क्रोस केस की वास्तव में कोई सुसंगतता नहीं है।

11. ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय का आदेश किसी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

12. याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

डी जी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूनम मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।